

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 515
03 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

जलकृषि प्रजातियाँ

515.श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को उन रिपोर्टों की जानकारी है जो यह दर्शाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत बढ़ावा दी जाने वाली लाल शैवाल जैसी कुछ जलकृषि प्रजातियाँ आक्रामक हैं और उनका प्रसार प्रवाल भित्तियों सहित समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के लिए खतरा है;
- (ख) यदि हां, तो ऐसी आक्रामक प्रजातियों का ब्यौरा क्या है और प्रवाल भित्तियों तथा स्थानीय समुद्री जैव विविधता पर उनका क्या प्रभाव है;
- (ग) क्या सरकार ने उक्त प्रजातियों को बढ़ावा देने से पहले किसी प्रकार का अध्ययन या साध्य पर विचार किया है;
- (घ) सरकार द्वारा उक्त आक्रामक प्रजातियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और पीएमएमएसवाई के तहत मत्स्यपालन की संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ) क्या सरकार का पीएमएमएसवाई के तहत प्रजातियों के चयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी करने या सख्त मानदंड तय करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पांच वर्षों की अवधि यानी 2020-21 से 2024-25 के दौरान कार्यान्वयन के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपए के अब तक के उच्चतम निवेश के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक एक प्रमुख योजना शुरू की है। पीएमएमएसवाई के तहत सी वीड कल्टीवेशन को आय-सृजनकारी आर्थिक गतिविधि के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। इस सहयोग का उद्देश्य इस क्षेत्र में कल्टीवेशन प्रैक्टिस, इन्फ्रास्ट्रक्चर, जागरूकता, प्रशिक्षण, अनुसंधान में सुधार करना और सी वीड व्यापार में वैल्यू चेन को इष्टतम करना है। मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के तहत राफ्ट, मोनोलाइन / ट्यूबनेट की स्थापना, मल्टी परपस सी वीड पार्क की स्थापना, सी वीड सीड बैंक, सी वीड हैचरी, सी वीड फार्मिंग पर पूर्व-व्यवहार्यता आकलन अध्ययन परियोजनाओं, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए 198.17 करोड़ रुपए की सी वीड परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर-सेन्ट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमएफआरआई) के मंडपम क्षेत्रीय केंद्र को सी वीड विकास के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया गया है और लक्षद्वीप द्वीप समूह को सी वीड क्लस्टर के रूप में नामित किया गया है।

'स्ट्रैटेजी फ़ॉर द डेवलपमेंट ऑफ़ सीवीड वैल्यू चेन' पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (NCSCM), सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSMCRI) तथा सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट (CMFRI) जैसे संस्थानों ने समुद्री शैवाल की खेती की जैव विविधता, जिसमें कोरल रीफ्स भी शामिल हैं, पर प्रभाव का अध्ययन एवं प्रलेखन किया है। इनके निष्कर्षों से यह संकेत मिलता है कि समुद्री जैव विविधता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया है तथा *ग्रेसिलेरिया एड्यूलिस* और *कप्पाफाइकस अल्वारेज़ी* जैसी लाल शैवाल प्रजातियों द्वारा समुद्री पारितंत्र में कोई नुकसान देने वाली विशेषताएँ इंगित नहीं की गई हैं। तमिलनाडु सरकार ने भी अन्य बातों के साथ यह रिपोर्ट किया है कि *कप्पाफाइकस* की वाणिज्यिक खेती वर्ष 2005 से प्रारंभ की गई थी और जिस प्रकार के नुकसान की आशंका व्यक्त की गई थी, वह देखने में नहीं आई। तथापि, एहतियाती उपाय के रूप में, पर्यावरण एवं वन (EC-3) विभाग के G.O. (MS) No.229, दिनांक 20.12.2005 के माध्यम से, मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में *कप्पाफाइकस* की खेती की अनुमति नहीं दी गई है।

(घ) और (ङ) गैर-देशी (नॉन नेटिव) प्रजातियों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए, भारत सरकार ने भारतीय जलक्षेत्र में एक्सोटिक एकेटिक स्पीशीज के प्रवेश पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जो देश में सी वीड सहित विदेशी जलीय प्रजातियों के प्रवेश के पक्ष और विपक्ष की समीक्षा और आकलन करती है और भविष्य में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश/आचार संहिता भी विकसित करेगी। समिति नई प्रजातियों को शामिल करने की स्वीकृति देने और संभावित पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए व्यापक जोखिम आकलन के आधार पर आयात प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए भी जिम्मेदार है। मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार पीएमएमएसवाई के तहत उच्च उत्पादन और बाजार क्षमता वाली नई संभावित प्रजातियों के माध्यम से सी वीड सहित प्रजातियों के डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, पीएमएमएसवाई के तहत सस्टेनेबल सी वीड कल्टीवेशन को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाले सीड सामग्री के आयात के लिए मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 'गार्डलाईन्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ लाइव सी वीड्स इंटू इंडिया' अधिसूचित किया है। दिशा-निर्देशों में लाइव सी वीड के आयात की प्रक्रिया, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, पेस्ट और डिजीज़ के प्रवेश को रोकने के लिए सख्त क्वारन्टीन प्रक्रिया, संभावित जैव सुरक्षा मुद्दों की पहचान करने के लिए जोखिम मूल्यांकन और चल रही मॉनिटरिंग और जोखिम मूल्यांकन को सुदृढ़ करने के लिए पोस्ट इम्पोर्ट मॉनिटरिंग की रूपरेखा दी गई है।
